नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुआ

(5)

।। न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर ।।

पीठासीन अधिकारी – सुरेन्द्र प्रसाद, आर०ए०एस०

राजस्व वाद नं० 1/82 तारीख रज्जू 126.07.2016

2016/613

01– राधे पुत्र माग्या जाति गुर्जर
02– सीताराम पुत्र माग्या जाति गुर्जर
03– तोताराम पुत्र माग्या जाति गुर्जर साकिन धर्मपुरा तहसील अलवर

–वादीगण

बनाम

01– काल्या पुत्र बुधा जाति गुर्जर निवासी धर्मपुरा तहसील अलवर
02– राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलक्टर अलवर।
03– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, अलवर लैण्ड होल्डर

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 राज० काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :– दिनांकः 22.02.2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 88, 89 के अन्तर्गत पेश किया है। दावे में कथन किया है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 109 रकबा 0.22 है०, 110 रकबा 0.18 है०, 111 रकबा 0.01 है० वाके ग्राम धर्मपुरा तहसील अलवर में स्थित है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2069–2072 के खाता संख्या 88 पर राधे, सीताराम, तोताराम पि० मांग्या हिस्सा 1/2 काल्या पुत्र बुद्धा हिस्सा 1/2 गुर्जर साकिन देह खातेदार इंतकाल संख्या 280 विरासत। आराजी खसरा नम्बर 109 रकबा 0.22 है०, 110 रकबा 0.18 है० एवं 111 रकबा 0.01 है० का अंकन दर्ज रिकार्ड किया हुआ है। आज भी सालिम आराजी पर वादीगण काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। सम्वत 2020 में सैटलमेन्ट कर्मचारियों की

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

गलती के कारण सहवन से वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से पर काल्या पुत्र बुद्धा गुर्जर साकिन देह खातेदार दर्ज कर दिया। वादग्रस्त आराजी में जो 1/2 हिस्सा काल्या पुत्र बुद्धा के नाम दर्ज कर दिया उसे कलमजन किया जाकर सालिम आराजी पर वादीगण का नाम खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादीगण को न्याय आपके द्वार अभियान में कैम्प कोर्ट अकबरपुर में दिनांक 12.06.2018 को उपस्थित होने हेतु जारी नोटिस की प्राप्त तामील में प्रतिवादी संख्या–1 काल्या पुत्र बुद्धा जाति गुर्जर निवासी धर्मपुरा तहसील अलवर के नोटिस के पुश्त पर तामील कुनन्दा की रिपोर्ट पर ग्रामवासी जिनमें हरिराम पुत्र रामसहाय धर्मपुरा एवं जगदीश कोली पुत्र घीसाराम कोली धर्मपुरा ने जाहिर किया है कि काल्या पुत्र बुद्धा ग्राम धर्मपुरा में कोई नही है, माग्या के दो नाम हो गये है। प्रतिवादी संख्या–2 की ओर से जवाब पेश किया गया। तनकीयात कायम की गई।

01– आया वादी वादग्रस्त खसरा नम्बर 109 रकबा 0.22 है०, 110 रकबा 0.18 है०, 111 रकबा 0.01 है० वाके ग्राम धर्मपुरा तहसील अलवर की सालिम आराजी का खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी संख्या–1 काल्या पुत्र बुद्धा के नाम राजस्व कर्मचारियान द्वारा 1/2 भाग का इन्द्राज गलत तौर से मौके व कब्जे के विरूद्ध किया गया है। जिसे कलमजन करवाने एवं समस्त वादग्रस्त आराजी को खातेदार काश्तकार घोषित कराने के अधिकारी है। –वादीगण

02– आया वादगस्त आराजी खसरा नम्बर 109 रकबा 0.22 है०, 110 रकबा 0.18 है०, 111 रकबा 0.01 है० वाके ग्राम धर्मपुरा तहसील अलवर पर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है। –वादीगण

03– वादीगण का वाद वादग्रस्त आराजी बाबत मौखिक साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में खारिज किये जाने योग्य है। –प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

04— दादरसी

वाद में वादी को अपनी साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया गया। वादी ने अपने स्वयं का हलफनाम जमाबन्दी सम्वत 2069 से 2072 एवं शपथ पत्र राधे पप्पूराम व तोताराम के पेश किये। प्रतिवादी संख्या—1 काल्या पुत्र बुद्धा की एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक 11.02.2019 को की जा चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से पैरोकार सरकार द्वारा जवाब पेश किया गया एवं किसी भी प्रकार की कोई दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य पेश नही की गई।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया एवं पक्षकारान की बहस सुनी गई। बहस में वादी के वकील ने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए व दस्तावेजात का हवाला देते हुए वाद डिक्री करने की प्रार्थना की।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया एवं पत्रावली पर बनाये गये विवाद्यक अनुसार निम्न निर्णय किया जाता है:—

01— **आया** वादी वादग्रस्त खसरा नम्बर 109 रकबा 0.22 है०, 110 रकबा 0.18 है०, 111 रकबा 0.01 है० वाके ग्राम धर्मपुरा तहसील अलवर की सालिम आराजी का खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी संख्या—1 काल्या पुत्र बुद्धा के नाम राजस्व कर्मचारियान द्वारा 1/2 भाग का इन्द्राज गलत तौर से मौके व कब्जे के विरूद्ध किया गया है। जिसे कलमजन करवाने एवं समस्त वादग्रस्त आराजी को खातेदार काश्तकार घोषित कराने के अधिकारी है।

वादी ने अपने वाद के समर्थन में राधे, पप्पूराम व तोताराम के शपथ पत्र पेश किये एवं जमाबन्दी सम्वत 2069—2072 पेश की है एवं 80 सीपीसी का नोटिस पेश किया है जिसके साथ पोस्ट आफिस की रसीद पेश की है। सैटलमेन्ट कर्मचारियों द्वारा सम्वत 2020 में काल्या पुत्र बुद्धा जाति गुर्जर का नाम दर्ज किया है जिसे कलमजन किया जाकर वादीगण को वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 109 रकबा 0.22 है०, 110 रकबा 0.18 है०, 111 रकबा 0.01 है० वाके ग्राम धर्मपुरा तहसील अलवर का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे कि वादीगण के कब्जे काश्त में

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

केसी प्रकार की रूकावट व मजाहमत ना करे। यह तनकी वादीगण के पक्ष में साबित होने पर विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

02— आया वादगस्त आराजी खसरा नम्बर 109 रकबा 0.22 है०, 110 रकबा 0.18 है०, 111 रकबा 0.01 है० वाके ग्राम धर्मपुरा तहसील अलवर पर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है। इस तनकी को भी साबित करने का भार वादी पर है। वादीगण ने अपने मौखिक साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य से ये साबित किया है कि वादीगण उक्त वादग्रस्त आराजी के काबिज खातेदार काश्तकार है जिन्हे अपनी आराजी की सुरक्षा कराने का पूर्ण अधिकार है एवं वादीगण ने मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से उक्त तनकी को साबित किया है। इस कारण यह तनकी भी वादीगण द्वारा साबित किये जाने पर वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

03— आया वादीगण का वाद वादग्रस्त आराजी बाबत मौखिक साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में खारिज किये जाने योग्य

वदीगण ने अपने वाद को साबित करने हेतु शपथ पत्र राधे, पप्पू व तोताराम व जमाबन्दी सम्वत 2069 से 2072 ग्राम धर्मपुरा पेश की है। प्रतिवादीगण संख्या—1 की दिनांक 11.2.2019 को एक पक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 कोई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही की है। प्रतिवादीगण इस तनकी को साबित नही कर पाये है। चूँकि इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर ही था। अतः यह तनकी भी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

04— दादरसी चूँकि ऊपर वर्णित तीनों तनकीया वादीगण के पक्ष में वादीगण द्वारा साबित किये जाने पर वादीगण के पक्ष में निर्णित होकर तय की ज ा चुकी है। अतः यह तनकी भी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

अतः वादी का वाद इस प्रकार निर्णय कर डिक्री किया जाता है कि वादगस्त आराजी खसरा नम्बर 109 रकबा 0.22 है०, 110 रकबा 0.18 है०, 111 रकबा 0.01 है० वाके ग्राम धर्मपुरा तहसील अलवर में प्रतिवादी संख्या 1 काल्या पुत्र बुद्धा का नाम 1/2 हिस्से से कलमजन किया जाकर वादीगण को

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

वादग्रस्त आराजी का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की रूकावट व मजाहमत ना करे। निर्णय सुनाया गया। तदानुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(सुरेन्द्र प्रसाद)
सहायक कलक्टर
अलवर

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर, अलवर

। अधिकारीः सुरेन्द्र प्रसाद RAS

उनवान

राधे वगै० बनाम काल्या वगै०

नम्बर :– 1/82 तारीख रज्जू 26.07.2016

अन्तर्गत धारा 88, 89 राज० काश्तकारी अधिनियम

दिनांक :– 22.02.2019

वादीगण की उपस्थिति में वाद आज तारीख 22.02.2019 को सहायक कलक्टर, अलवर के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि वादीगण को वादग्रस्त आराजी खसरा)9 रकबा 0.22 है०, 110 रकबा 0.18 है०, 111 रकबा 0.01 है० वाके ग्राम धर्मपुरा तहसील अलवर में संख्या 1 काल्या पुत्र बुद्धा का नाम 1/2 हिस्से से कलमजन किया जाकर वादीगण को वादग्रस्त का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त में कार की रूकावट व मजाहमत ना करे।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 22.02.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सुरेन्द्र प्रसाद)
पीठासीन अधिकारी
सहायक कलक्टर, अलवर

खर्चे

		प्रतिवादी	
त्र के लिए स्टाम्प पत्र के लिए स्टाम्प के लिए स्टाम्प पये पर प्लीडर की फीस यों के लिए निर्वाह–व्यय र की फीस का की तामील	रूपया	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशित की तामील कमिश्नर की फीस	रूपया

Scanned by CamScanner